

प्रमाण पत्र

विषय
विंशटी भौतर मार्ग
आकड़ा-सोला नं 4312 हैक्टेयर

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर में अकड़ा-सोला नं 4312 हैक्टेयर वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु दुगुने अर्थात् 4.312 हैक्टेयर में वनीकरण हेतु वन विभाग द्वारा ग्राम लुकास की सिविल सोयम भूमि का चयन किया गया है। उक्त भूमि वनीकरण हेतु उपयुक्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा प्रस्ताव में 2.10 (प्रपत्र संख्या 43) में दिया गया है।

उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व की है एवं राजस्व अभिलेखों में खाता संख्या 4.7 के अन्तर्गत श्रेणी १.(३).८वं में दर्ज है। यह भूमि शासनादेश संख्या 759(1)/ XVII (2)/ 2009 दिनांक 20.03.2010 द्वारा लैन्ड बैंक के अन्तर्गत अनुमोदन उपरान्त जिला अधिकारी बागेश्वर के पत्रांक 558 / 26— वन / 2010-11 दिनांक 02.07.2010 के अनुसार (प्रति संलग्न) वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित कर दी गयी है। उक्त भूमि मध्ये तहसीलदार कपकोट के पत्रांक ७! / २-९, कपकोट/ २०१५ भूतेख दिनांक २९-१-१५ द्वारा १६.२.१९३ हैक्टेयर की खतौनी दी गयी है, जो संलग्न है।

संलग्न— उक्तानुसार

Chhote 25.4.16
अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर २५/४/१६

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या:- 558 / छव्वीस-वन / 2010-11 दिनांक: 02 जून 2010
क्रमांक

सेवामें

अधिशासी अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड,
 लोक निर्माण विभाग,
 बागेश्वर ॥

विषय:-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिह्नित सिविल एवं सोयम वन भूमि को वन विभाग
 के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक पर अपने कार्यालय के फैक्स पत्र संख्या- 223/2 ई0व0भू0
 दिनांक: 02 जुलाई 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जनपद में क्षतिपूरक
 रथानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि जनपद के अन्तर्गत क्षतिपूरक
 वृक्षारोपण हेतु चिह्नित तहसीलवार कुल भूमि- 1402.678 हेक्टर की सूचना / स्वीकृति हेतु इस
 कार्यालय के पत्र संख्या- 172 / छव्वीस-वन / 2008-09 दिनांक: 02 फरवरी 2009 से शासन
 को पत्र संख्या- 759 (1) / xviii
 को प्रेषित की गई थी, जिसकी स्वीकृति शासन ने अपने पत्र संख्या- 759 (1) / xviii
 (2) / 2009 दिनांक: 20 मार्च 2010 के माध्यम से प्रदान की थी, किन्तु चिह्नित भूमि का
 रथलीय कब्जा वन विभाग को देते समय तहसील गरुड़ के अन्तर्गत 0.982 हेक्टर भूमि पर
 ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। वर्तमान में 0.982 हेक्टर भूमि को चिह्नित भूमि से
 पृथक कर लिया गया है, तदनुसार 1265.676 हेक्टर भूमि वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में
 स्थानान्तरित की जा चुकी है, शेष तहसील गरुड़ एवं काण्डा में चिह्नित भूमि को वन विभाग
 के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित किये जाने की प्रक्रिया इस स्तर पर गतिमान है।
 जिसकी सूचना पृथक से प्रेषित की जावेगी।

प्रभारी अधिकारी,
 कृते जिलाधिकारी, बागेश्वर।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बागेश्वर को अधिशासी अभियन्ता,
 लो०नि०वि० बागेश्वर के उक्त फैक्स पत्र संख्या जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको
 पृष्ठांकित है, एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या- 558 / छव्वीस-वन / 2010-11 दिनांक: 29
 जून, 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें के कम में इस आशय के साथ प्रेषित की
 उक्तानुसार शेष भूमि को अपने प्रशासनिक नियन्त्रण में लेते हुए इस कार्यालय को यथाशीघ्र
 अवगत कराने का कष्ट करें। कृपया इस कार्य को प्राथमिकता से लेवें।

प्रभारी अधिकारी,
 कृते जिलाधिकारी, बागेश्वर।

Steno
 ३०६५-१०
 ६/६/१०

Bog
 अधिकारी
 अन्तीम खण्ड लो० नि० दि०
 बागेश्वर ६/६/१०